प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 08.10.2024

- **अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी।**
- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कस्बा पुखरायां में हुयी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से लूट के 35500/- रुपये, 01 अदद मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस नं0- UP92AK7139 रंग काला (चोरी की) व 01 अदद मोबाइल फोन (एंड्रायड) बरामद किया गया।**
- **अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में 01 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में लूट की घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भोगनीपुर पर दिनांक 24/09/2024 को वादी जान हैदर पुत्र मो0 इदरीश निवासी ग्राम हैदरपुर थाना बरौर कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि वादी के पिता दिनांक 23/09/2024 को तहसील पुखरायां में जमीन की मिट्टी उठने का सौदा करके घर वापस आते समय दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा पैसे का बैग छीनकर भाग जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 278/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए संकलित साक्ष्यों व मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आज दिनांक 08.10.2024 को 01 नफर अभियुक्त सन्तराम वर्मा उर्फ मंगल पुत्र स्व0 भगवान दास निवासी ग्राम पिपरायां थाना आटा जनपद जालौन हाल निवास किराये का मकान जे0एम0 भोगनीपुर कोर्ट के पास कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को मय मु0अ0सं0-278/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना भोगनीपुर से सम्बन्धित लूट के 35500/- रुपये, 01 अदद मोटर साइकिल स्पलेंडर प्लस नं0- UP92AK7139 रंग काला (चोरी की) व 01 अदद मोबाइल फोन एंड्रायड के साथ श्याम नगर मण्डी समिति से चौकी चकचालपुर रोड पर पहली पुलिया मोड़ के पास थाना क्षेत्र भोगनीपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोटर साइकिल स्पलेंडर प्लस नं0 UP92AK7139 के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो अभियुक्त सन्तराम उपरोक्त ने उरई कस्बे से चुराना बताया गया व इस सम्बन्ध मे थाना कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0- 695/2024 धारा 303(2) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात पंजीकृत है। सम्बन्धित थाने को मोटरसाइकिल बरामद होने व आवश्यक

कार्यवाही हेतु अवगत कराया गया है। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अन्य वांछित अभियुक्त मुस्तफा कुरैशी पुत्र मजहर कुरैशी निवासी जवाहर नगर तकिया मोहल्ला कस्बा व थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 292/2024 धारा 317(2) BNS पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

पूछताछ- अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरे मित्र मुस्तफा कुरैशी पुत्र मजहर कुरैशी निवासी जवाहर नगर तकिया मोहल्ला कस्बा व थाना घाटमपुर जनपद कानपुर नगर ने मुझसे कहा था कि मेरे पिता जी कि तबियत ज्यादा खराब है व कानपुर में इलाज चल रहा है इसलिये उसे पैसों की जरुरत है। जिस पर मैंने कहा था कि बैंक या तहसील पुखरायां में पैसे का लेन देन होता है वहां पर काम हो सकता है। मुस्तफा कुरैशी दिनांक 23.09.2024 को काले रंग की पल्सर से मेरे घर के पास आया, मैं उसके साथ तहसील पुखरायां गया तो तहसील में देखा कि कुछ लोग मिट्टी की खरीद बिक्री की बात कर रहे थे तथा पैसे लेन देन की भी बात कर रहे थे। हम लोग उन्हें देखते रहे, कुछ देर में 500-500 रुपयों की तीन गड्डी (1.5 लाख रुपये) एक बुजुर्ग व्यक्ति को दी जिसने पैसों को अपने बैग में रख लिया था। वह बुजुर्ग व्यक्ति पैसे के बैग को लेकर एक मोटरसाईकिल पर बैठकर जाने लगा जैसे ही वह मोटरसाईकिल पुखरायां बाजार से ग्रामोद्योग डिग्री कालेज के आगे बढ़ी तभी मुस्तफा ने अपनी मोटरसाईकिल उस मोटरसाईकिल के बगल में लगायी तथा मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से रुपयों का बैग छीन लिया और मोटरसाईकिल को काफी तेजी से भगाकर हम लोग घाटमपुर चले गये थे। बैग में खोलकर देखा गया तो 50000-50000 रुपयों की तीन गड्डी थी तथा बैग में उस बुजुर्ग व्यक्ति के कुछ कागज रजिस्ट्री ,आधार कार्ड ,पासबुक आदि थे। उन पैसों को हम दोनों ने बांट लिया था। मेरे पास से बरामद मोटरसाईकिल को मैंने राजेन्द्र नगर उरई जनपद जालौन से चोरी की थी। लूट की घटना में मिले 50000 रुपये में से कुछ रुपये मुकदमें की पैरवी में वकील को दे दिये थे तथा कुछ रुपये अपने व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरुरतो में खर्च हो गये हैं। मेरे पास से बरामद 35500 रुपये उसी लूट की घटना से सम्बन्धित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. सन्तराम वर्मा उर्फ मंगल पुत्र स्व0 भगवान दास निवासी ग्राम पिपरायां थाना आटा जनपद जालौन हाल निवास किराये का मकान जे0एम0 भोगनीपुर कोर्ट के पास कस्बा पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

अभियुक्त सन्तराम वर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 350/2021 धारा 379/411/420 भा0द0वि0 थाना उरई जनपद जालौन।
2. मु0अ0सं0 533/2015 धारा 41/411/413/414 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आटा जनपद जालौन।
3. मु0अ0सं0 140/2021 धारा 41/411/413/467/468 भा0द0वि0 थाना कालपी जनपद जालौन।
4. मु0अ0सं0 49/2020 धारा 60 आबकारी अधि० थाना कालपी जनपद जालौन।

5. मु0अ0सं0 1029/2015 धारा 379/411/467/469 भा0द0वि0 थाना कालपी जनपद जालौन।
6. मु0अ0सं0 141/2009 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
7. मु0अ0सं0 55/2014 धारा 392 भा0द0वि0 थाना जरिया जनपद हमीरपुर।
8. मु0अ0सं0 NIL/2015 धारा 41/411/413/414 भा0द0वि थाना जरिया जनपद हमीरपुर।
9. मु0अ0सं0 105/2009 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना नौबस्ता जनपद कानपुर नगर।
10. मु0अ0सं0 1414/2017 धारा 41/411/467/468 भा0द0वि0 थाना कोतवाली उन्नाव जनपद उन्नाव।
11. मु0अ0सं0 695/2024 धारा 379 भा0द0वि0 थाना उरई जनपद जालौन।
12. मु0अ0सं0 292/2024 धारा 317(2) BNS थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।
13. मु0अ0सं0 278/2024 धारा 309(4) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी -

1. 01 अदद मोटरसाइकिल स्पलेंडर प्लस नं0- UP92AK7139 रंग काला (चोरी की) ।
2. मु0अ0सं0-278/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना भोगनीपुर से सम्बन्धित लूट के 35500/- रुपये ।
3. 01 अदद मोबाइल फोन एंड्रायड ।

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री उमेश शर्मा चौकी प्रभारी पुखरायाँ
2. हे0कां0 351 ज्ञानवीर सिंह
3. कां0 1076 भानूप्रताप
4. कां0 856 बबलू
5. कां0 236 विनोद पुरी
6. आरक्षी चालक लालेन्द्र